न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–52/2017 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. मोतीसिंह पुत्र माधेसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बरैर तहसील रैणी जिला अलवर मृतक काबिज जायज वारिस–
1/1. गिरधारी पुत्र स्व0 मोतीसिंह,
1/2. छोटी देवी पत्नि स्व0 मोतीसिंह,
1/3. धर्मसिंह पुत्र स्व0 मोतीसिंह,
1/4. रणधीरसिंह पुत्र स्व0 मोतीसिंह निवासीयान ग्राम बरैर तहसील रैणी जिला अलवर ।

..... अपीलांट/प्रतिवादी

बनाम

1. हरिसिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बरैर तहसील रैणी जिला अलवर – मृतक
1/1. सुशीला देवी बेवा हरिसिंह,
1/2. रमेश पुत्र स्व0 हरिसिंह,
1/3. विजयसिंह पुत्र स्व0 हरिसिंह,
1/4. राधा पुत्री स्व0 हरिसिंह पत्नि कृष्णसिंह समस्त जातियान राजपूत निवासी ग्राम बरैर तहसील रैणी जिला अलवर ।

..... वादी/रेस्पो0

2. तहसीलदार राजगढ़ जरिये लैण्ड होल्डर तहसील राजगढ़ जिला अलवर ।

..... प्रतिवादी/रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री पुनीत शर्मा अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री संजीव कागरवाल अभिभाषक रेस्पो0 ।

30/1

::: निर्णय :::

दिनांक :–30.01.2019

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/ रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत किया कि हाल ख0 नं0 503/0.51, 580/0.12, 581/1.01, 599/0.61, 615/0.15, 616/0.23, 617/0.30 वाके ग्राम बैरेर तहसील रैणी में स्थित है जो वादी व प्रतिवादी सं0 1 की सह खातेदारी की आराजी है । अब पक्षकारान में आराजी के कब्जे काश्त को लेकर तनाजा रहता है । इसलिए आराजी को पक्षकारान के मुताबिक हिस्सा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का बंटवारा किया जाकर खाता पृथक–पृथक कराया जाना आवश्यक हो गया है । इसलिए दावा डिक्री किया जाकर आराजी का बंटवारा कर खाता पृथक करने का निवेदन करते हुए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें । विद्वान तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया लेकिन प्रतिवादी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये । विद्वान तहत न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत शिविर ग्राम पंचायत पाड़ा में दि0 11.06.2015 को वादी का वाद अंतिम रूप से डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 11.06.2015 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी हाल ख0 नं0 503/0.51, 580/0.12, 581/1.01, 599/0.61, 615/0.15, 616/0.23, 617/0.30 वाके ग्राम बैरेर तहसील रैणी वादी व प्रतिवादी सह खातेदार है तथा अपने–अपने हिस्से पर काबिज हैं । दि0 14.10.2010 को रेस्पो0/वादी ने वाद दायर किया और उसी दिन ही अन्तरिम वाद हो गया । उसके बाद प्रतिवादी मोतीसिंह की न तो तामील हुई और न ही कैम्प कोर्ट की कोई सूचना दी गई । एकतरफा कार्यवाही गलत की गई है । दि0 27.08.2012 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी । मौके पर जाकर कुरे रिपोर्ट बनाने के आदेश तहसीलदार को दिये गये । कुरे रिपोर्ट का अवलोकन कराया । इसमें न तो वादी के हस्ताक्षर है और न ही प्रतिवादी के । मौके पर कौन गया किसने कुरे रिपोर्ट बनायी, यह सब स्पष्ट नहीं है । साजबाज होकर एकतरफा में कुरे रिपोर्ट तैयार करवायी गयी है । विवादित आराजी न तो अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का विधिवत् बंटवारा किया गया है । मनचाही आराजी वादी को दी गयी है खराब आराजी प्रतिवादी/अपीलांट को दी गई है ।

बहस में आगे कहा कि कैम्प कोर्ट में उपस्थित होने हेतु अपीलांट को कोई नोटिस तहत न्यायालय ने जारी नहीं किये । अंतिम डिक्री कर दी जिसकी प्रतिवादी/अपीलांट को कोई जानकारी नहीं है । पटवारी हल्का मौके पर गये तब डिक्री की जानकारी हुई । ख0 नं0 503 चाही है उसमें अपीलांट को कोई हिस्सा नहीं दिया गया है । अच्छी–अच्छी आराजी

वादी को कुरे में दी गयी है । निर्णय हुआ, नकल ली गयी तब जानकारी में आने पर विलम्ब से अपील पेश की गयी है जिसके विलम्ब को क्षमा करने के लिए दफा 5 का प्रार्थना पत्र मय कारण पेश किया गया है । इसलिए विलम्ब को अन्दर मियाद शुमार करते हुए अपील अपीलांट पुनः तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का अनुरोध किया । उन्होंने अपने समर्थन में आर.आर.डी. 2009 पेज 195, आर.आर.डी. 1998 पेज 319, आर.आर.डी. 2011 पेज 11 व आर.एल.डब्ल्यू. 2008 पेज 1442 पेश की ।

प्रतिउत्तर में अभिभाषक रेस्पो0 का कहना है कि अपीलांट ने अपील मियाद बाहर पेश की है तथा मियाद अन्दर शुमार करने के कोई उचित कारण भी अंकित नहीं किये हैं ।

जब प्रारम्भिक डिक्री की जानकारी थी तो अब अपील क्यों नहीं की है । जब कुरे रिपोर्ट पूरे हो गये तब अपील पेश की है । तहत न्यायालय में ही आदेश 9 नियम 13 से आदेश निरस्त क्यों नहीं किया । पत्रावली अनुसार अपीलांट की विधिवत् तामील हुई है । तहत न्यायालय ने विधिवत् कुरे रिपोर्ट लेकर सही बंटवारा किया गया है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है जिसमें कोई गलती नहीं है । अतः अपील मियाद बाहर होने से काबिल खारिजी के है । उन्होंने अपने समर्थन में डी.एन.जे. 2018 पेज 1136 पेश की ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.06.2015 का अवलोकन किया । प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया ।

अपीलांट का बहस में एवं अपील में मुख्य बिन्दू यह रहा है कि तहत न्यायालय के द्वारा अपीलांट की कोई तामील नहीं करायी गयी और उनकी अनुपस्थिति में प्राथमिक व अंतिम डिक्री पारित की है । तहसीलदार द्वारा जो कुरे रिपोर्ट तैयार की गयी है उस पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है । यह डिक्री साजबाज होकर बनायी गयी है ।

अभिभाषक रेस्पो0 का बहस में कथन रहा है कि अपीलांट ने अपील मियाद बाहर पेश की है तथा यदि एकपक्षीय कार्यवाही का बिन्दु है तो तहत न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 का प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए था । कुरे रिपोर्ट सही कायम की है तथा प्रारम्भिक डिक्री की कोई अपील नहीं है ।

तहत न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 27.08.2012 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की है । प्रतिवादी/अपीलांट ने तहत न्यायालय में दिनांक 19.06.2012 को एकतरफा कार्यवाही को निरस्त कराने का निवेदन किया है । इस आशय का प्रार्थना पत्र शामिल मिसल है । दि0 07.08.2012 को प्रतिवादी अनुपस्थित रहे हैं । पुनः एकतरफा कार्यवाही की गयी है । इससे यह तो स्पष्ट है कि प्रतिवादी/अपीलांट को रेस्पो0/वादी के वाद में प्राथमिक डिक्री से पूर्व जानकारी हो गयी । अतः अपील में यह तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है कि अपीलांट/प्रतिवादी की तामील नहीं हुई है । जहां तक प्रारम्भिक डिक्री के बाद कुरे रिपोर्ट का प्रश्न है । तहसीलदार ने स्वयं अपने पत्रांक 1304 दिनांक 24.04.2015 से जाहिर किया है कि उनके द्वारा मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर

उभयपक्षों की हिस्सेदारी के अनुसार मौके पर जाकर कब्जे काश्त के आधार पर कुरे रिपोर्ट तैयार किये हैं । दोनों ही पक्षों को लगभग समान रूप से 1.47 है0 तथा 1.46 हे0 रकबा हिस्सा अनुसार प्रस्तावित किया है । अतः कुरे रिपोर्ट में भी न्यायालय कोई कमी नहीं पाता है । जहां तक कैम्प कोर्ट में अंतिम डिक्री जारी करने का प्रश्न है । चूंकि अपीलांट/प्रतिवादी के विरूद्ध पूर्व से ही एकपक्षीय कार्यवाही चल रही है तो अपीलांट का यह तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है कि कैम्प कोर्ट की उनको कोई सूचना नहीं दी और यह तथ्य भी स्वीकार योग्य नहीं है कि कुरे रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं ।

जहां तक मियाद अधिनियम का प्रश्न है । अपीलांट के विरूद्ध प्राथमिक डिक्री से पूर्व एकपक्षीय कार्यवाही हो गयी थी तथा उन्हें अंतिम डिक्री का इल्म नहीं है । ऐसी स्थिति में जानकारी के आधार पर अपील में डिले कन्डोन योग्य है परन्तु चूंकि प्रकरण का मैरिट पर परीक्षण भी किया है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने गुणावगुण पर सही निर्णय पारित कर अंतिम डिक्री विभाजन की जारी की है ।

इसलिए तहत न्यायालय ने कुरे रिपोर्ट के आधार पर सही निर्णय पारित किया है । अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2016 यथावत रखी जाती है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/1/19

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर